सूचना का अधिकार

**अत्यावश्यक**

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

कमांक–प. 20(85)प्रसु/सूअप्र/2009

२४/11/11
जयपुर, दिनांक

# परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार से संबंधित पहचान चिन्ह का प्रदर्शन समस्त लोक प्राधिकणों के कार्यालयों के बाहर जहाँ सूचना का अधिकार के लिए आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, प्रदर्शित करने का अनुरोध किया है। यह भी अपेक्षा की गई है कि समस्त राजकीय स्टेशनरी विशेषकर सूचना के अधिकार से संबंधित पत्राचार, जवाब आदि पर इस पहचान चिन्ह को आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

सूचना का अधिकार का पहचान चिन्ह की एक प्रति इसके साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। साथ ही यह भी निवेदन है कि यह पहचान चिन्ह हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट ( hcmripa.gov.in ) से भी डाऊनलोड किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन समस्त विभागाध्यक्ष/लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार के "पहचान चिन्ह" का सूचना का अधिकार से संबंधित समस्त पत्राचार/मासिक रिपोर्ट/आवेदक को जवाब इत्यादि पर आवश्यक रूप से अंकित करने के लिए निदेशित करने का श्रम करें तथा इसकी पालना रिपोर्ट भी इस विभाग को 15 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

(आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अति. मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त जिला कलक्टर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक